संख्या 415-XXVII(3)/2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष,/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 19 जुलाई,2004

विषय–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 14 वर्ष एंव 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर समयमान वेतनमान के विषय में निर्देश।

महोदय,

समयमान वेतनमान स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1014/01 वित्त/2001 दिनांक 12 मार्च,2001,संख्या–345/ वि0अनु03/2001 दिनांक 22 अक्टूबर,2001 एव संख्या–1049/ वि0अनु03/2003 दिनांक 16 अक्टूबर,2003 द्वारा वेतनमान रू0 2550–3200 में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 14 वर्ष एंव 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उल्लिखित शर्तो के अधीन क्रमशः रू0 2610–3540 एंव रू0 2750–4400 का समयमान वेतनमान अनुमन्य किया गया है,लेकिन प्रदेश के कतिपय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा रू0 2550–3200 के वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को 14 वर्ष एंव 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सीधे रू0 3050–4590 का वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है जो कि नियमों के अनुसार अनुमन्य नहीं है।

2.अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन–जिन विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा शासनादेश की उक्तानुसार व्यवस्था के विपरीत अनुमन्यता से अधिक के वेतनमान, समयमान वेतनमान के रूप में स्वीकृत कर दिये गये हैं उनके आदेशों का पुनरीक्षण करके,देय तिथि को सही समयमान वेतनमान के आदेश निर्गत कर,जो भी अधिक धनराशि सम्बन्धित कर्मियों को भुगतान की गई है उस धनराशि की वसूली सम्बन्धित कर्मी से करके उसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भविष्य के लिए किसी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अनुमन्यता से अधिक का वेतनमान इस प्रकार स्वीकृत करने से यदि कोइ विसंगति उत्पन्न होती है और यह तथ्य शासन के संज्ञान मे आता है, तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को ही इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जायेगा और उसके बिरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित कार्यालय के आहरण एंव वितरण अधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि वह इस प्रकार के प्रकरणों को शासन के संज्ञान में लायें । त्रुटिपूर्ण वेतनमान अनुमन्य होने पर उस कर्मी के गलत वेतनमान के आधार पर अधिक धनराशि के कोषागार से आहरित होने पर वह भी उत्तरदायी माना जायेगा।

3.उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

भवदीय

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त

संख्या–ALS XXVII(3)/2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
5. महानिबंधक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तरांचल, देहरादून को 500 प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि वे इसे संबंधित कोषागारों के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को वितरण करने का कष्ट करें ।
7. उप निदेशक,राजकीय मुद्रणालय,रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 1000 प्रतियां तत्काल मुद्रित कर वित्त अनुभाग–3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव